सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ट सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	परिचय एवं उद्देश्य।	3–4
3.	वर्तमान एजेंडा ।	5
4.	प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव।	6–15
5.	पिछले प्रेम बैठक (27.11.2018) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी।	16–32

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.00	11.05
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय संबोधन।	महाप्रबंधक	11.05	11.15
3.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.15	11.35
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	एससी/एसटी एशो0	जोनल अध्यक्ष	11.35	11.45
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	11.45	11.55
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	11.55	12.05
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.05	12.15
		महासचिव		
4.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	12.15	12.45
5.	वर्तमान एजेंडा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष के अनुमति से	12.45	13.28
6.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.28	13.30

परिचय

- प्रेम(PREM)–प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी
- इसे रेल मंत्रालय स्तर पर वर्ष–1972 में एवं क्षेत्रीय रेल स्तर पर वर्ष–1977 में स्थापित किया गया था।
- भारतीय रेल में यह त्रिस्तरीय आधार पर कार्य करता है।
  1. रेलवे बोर्ड स्तर(श्रम प्रबंधन का कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज समूह)
  2. क्षेत्रीय रेल स्तर
  3. मंडल रेल स्तर

रेलवे बोर्ड स्तर

- अध्यक्ष– अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
- संयोजक– सचिवरेलवे बोर्ड
- प्रशासन की ओर से–सदस्य रेलवे बोर्ड,सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक
- कर्मचारी कीओर से–एआईआरएफ एवं एनएफआईआर के चार–चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के–दो प्रतिनिधि

क्षेत्रीय रेल स्तर

- अध्यक्ष– महाप्रबंधक
- सचिव – उप महाप्रबंधक/सामान्य
- प्रशासन की ओर से – अपर महाप्रबंधक एवं सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- एससी/एसटी संध के–दो प्रतिनिधि
- ओबीसी संध के–दो प्रतिनिधि
- आरपीएफ संध के–दो प्रतिनिधि

मंडल रेल स्तर

- अध्यक्ष– मंडल रेल प्रबंधक
- सचिव – वरि0 मंडल कार्मिक अधिकारी /मंडल कार्मिक अधिकारी
- प्रशासन की ओर से –अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी शाख अधिकारी
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के–दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि

वर्ष 2016 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

बैठक :तीन महीने में एक बार

- प्रथम बैठक : 29 अप्रैल 2016
- द्वितीय बैठक :02 सितंबर 2016
- तृतीय बैठक :15 दिसंबर 2016

वर्ष 2017 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 24 मार्च 2017
- द्वितीय बैठक : 24 अगस्त 2017
- तृतीय बैठक : 28 दिसंबर 2017

वर्ष 2018 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 15 मई 2018
- द्वितीय बैठक : 11 सितंबर 2018
- तृतीय बैठक : 27 नवम्बर 2018

वर्ष 2019 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 28 जनवरी 2019

उद्देश्य

- रेलवे संगठन की व्यवहारिक कार्यक्षमता को विकसित करने और रेलवे की सेवा प्रदाता संगठन की छवि बनाये रखने के मुख्य उद्देश्य से प्रबंधन मे श्रमिकों की बेहतर और सुव्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- रेलवे संगठन के संचालन और गठन करने हेतु विचारों का प्रमाणित एवं निर्वाध रुप से आदान–प्रदान करना।
- निवेश कार्यक्रमों खासकर आवास और कल्याण गतिविधियों का मूल्यांकन।
- नोटः कर्मचारी मामलों पर विमर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संगठन को समग्र उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाय।

प्रबंधन मे श्रमिकों की भागीदारी

- 1917 में यूनाइटेड किंगडम में **बहीट्ले** समिति ने अनुशंसा की थी कि निम्न के विमर्श के लिए कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर देना चाहिएः–
- संगठन, कर्मचारी और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु।
- उत्पादकता की प्रक्रिया में कर्मचारी को संगठन में उनकी भूमिका को बेहतर रुप से समझने के लिए।
- औद्योगिक शांति, बेहतर संबंध और सहयोग प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए।
- रेलवे में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को लंबे समय से साझा बनाते हुए श्रमिकों की भागीदारी निम्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए रही हैः–
- कर्मचारी कल्याण निधि समिति
- आवास समिति
- रनिंग रुम सलाहकार समिति
- कैंटीन प्रबंधन समिति
- हॉस्पीटल विजिटिंग समिति
- श्रमिक सलाहकार समिति
- रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब का कार्यकारी समिति
- वर्कशॉप उत्पादकता परिषद्
- इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल और मंडलों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन और श्रमिकों की सामूहिक उद्यम समूहका गठन कर लिया गया है जिसे अब **प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) कहा जाता है।**

चर्चा का विषय

1. निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।

2. कर्मचारियोंको भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।

3. जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

4. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालनमें सुधार।

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

अध्यक्ष/ईसीआरकेयू	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	• प्रायः सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ पेपर सुपूर्दकर दिया जाए। • सेवानिवृत्तिके समय कर्मचारी का खाता नंबर जांच उपरांत सुनिश्चित किया जाए कि खाता सही है या गलत । • लेखा विभाग से संबंधित कर्मचारी यह सुनिश्चित करे कि बैंक को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त हुआ या नही एवं समय–समय पर पेंशन विभाग से वार्ता किया जाए।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि /अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी चार्टर प्लान का अनुपालन नही हो रहा है। चार्टर में दिये गए समय सीमा का पालन मात्र करने से ही कठिनाई स्वतः दूर हो जाएगी।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	• रात में गाड़ियों की फुट प्लेटिंग पर जोर। • परिचालन से जुड़े रेलकर्मियों को वॉकी–टॉकी उपलब्ध कराया जाए। • सभी गाड़ियों में फॉग सिगनल डिवाइस (FSD) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। • सभी सिगनल साइटिंग बोर्ड,सी/फा बोर्ड ,पटाखा सिगनल खंभा तथा व्यस्त समपार फाटको पर चमकीला पट्टी लगाया जाय। • सिगनल साइटिंग बोर्ड के निकट रेल पथ के आर–पार चूने का निशान लगाया जाए। • कोहरे में कार्य करने वाले फॉग मैन को सुपरवाईजरों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। • प्रयुक्त होने वाले पटाखों की तिथि की जॉच एवं उन पटाखों का प्रयोग कर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	• मेल/एक्सप्रेस गाडियों के परिचालन का अलग से 24 घंटे मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। • गाडियों में इंजन के बदलाव के समय का मॉनिटरिंग किया जाय। • गाडियों में होने वाले ए.सी.पी. पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाय। • इकहरी लाईन में गाडियों के क्रॉसिंग में प्राथमिकता के आधार पर क्रॉसिंग दी जाए। मेल/एक्सप्रेस गाडियों की वाशिंग एवं रख–रखाव के कार्य प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
महासचिव / ईसीआरकेयू	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	रेल प्रशासन को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सेवानिवृति के बाद दो माह के अंदर पेंशन भुगतान सुनिश्चित हो । इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के उच्च पदाधिकारियों के साथ समय –समय पर बैठक आयोजित करना चाहिए।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	• रेल गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए । • कुहासे की स्थिति में फॉग सिगनल डिवाइस लगाना चाहिए।

	• सिगनल से पहले पटाखे का प्रयोग लोको पायलट, स्टेशन मास्टर एवं गार्ड के बीच बातचीत सुंनिश्चित होना चाहिए। • संरक्षा के मद्देनजर कुहासे में लोको पायलट द्वारा गाड़ियों के गति नियंत्रण हेतु ट्रेनों का ब्रेक पावर अच्छा होना चाहिए ताकि लोको पायलट अवश्यकता पड़ने पर निश्चित दूरी पर गाड़ी को रोक सके। इंजन का वाइपर ,बालू एवं लुकिंग ग्लास साफ होना चाहिए। • पेट्रॉलिंग कीव्यवस्था निश्चित होना चाहिए तथा उनको टॉर्च,फ्लोरेसेंट यूनिफॉर्म,डेटोनेटर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। • स्टेशन मास्टर एवं पेट्रॉलमैन का समय–समय पर काउंसिलिंग होना चाहिए। • लोको पायलट द्वारा गेट के पास हॉर्न का उपयोग लगातार करना चाहिए। • सभी सिगनलिंग डिवाइस में LED लाइट का प्रयोग करना चाहिए।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	कुहासे एवं जाड़े के मौसम में गाड़िया प्रायः लेट– लतीफ चलती है किंतु क्रू को समय पर बुला लिया जाता है। अतः क्रू को गाड़ियों के विलंबानुसार बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
अध्यक्ष/ईसीआर/एससी एण्ड एसटीएशो0	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	1.सेवानिवृत्तिकर्मचारी के जीवनका महत्वपूर्ण पड़ाव है।प्रत्येककर्मचारी के जीवन में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य होते है। यही उद्देश्य एवं लक्ष्य हमारे लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन अवधि के कार्य कलापों को प्रभावित करते है। 2.सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित अवधि के अंर्तगत पेंशन भुगतान महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासन कोसेवानिवृति के उपरांतकम से कम अवधि में पेंशन भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। 3.पेंशन भोगी को सेवानिवृत्तिमाह के अगले माह से पेंशन चालू हो जाना चाहिए। 4.पेंशन भोगी के खाते में प्रत्येक माह समय से पेंशन जमा हो जाना चाहिए।पेंशन राशि में त्रुटि न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। 5.प्रशासन को पी.पी.ओ जमा करने ,पेंशनस्क्राल प्राप्त करने की दिशा में नामित नोडल शाखा से मिल कर कार्य करना चाहिए एवं पी.पी.ओ विभिन्न लिंक शाखाओं के बदले सीधे नामित नोडल शाखाको भेजा जाए। 6.विभिन्न लिंक शाखा केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण कक्ष को पी.पी.ओ समय से भेजना सुनिश्चित करें। ताकि पेंशन भोगी को समय से पेंशन भुगतान किया जा सके।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	1.भविष्य निधि के फार्म को अग्रसारित करने में ,फार्म के जमा होने में एवं उनके पास होने तक , कर्मचारियों को बाबू से लेकर एकाउण्ट ऑफिस तक चक्कर लगााना पड़ता है। 2.पी.एफ. लोन के आवेदन को पास करने के लिए समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो उसकी जानकारी कर्मचारी को सीधे तौर पर लिखित या मेमौ के माध्यम से कार्यस्थल पर दिया जाना चाहिए। 3.अवकाश नकदीकरण और अग्रिम आदि के बारे में समुचित जानकारी नहीं होने से अधिकांश कर्मचारी इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते है। 4.कर्मचारी कल्याण निधि से होने वाले लाभ एवं योजना का समुचित प्रचार किया जाना चाहिए।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	1.जाड़ा प्रारंभ होने के पूर्व मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश पारित कर जोनल/मंडलस्तर पर नुक्कड़ नाटक/सेमिनार /जागरूकता अभियान चलाकर परिचालन से संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को जागरूक करने की अवश्यकता है। 2.जब तापमान कमहो जाये तो रेल लाइन की पेट्रॉलिंग शुरू कर देना चाहिए । रेल लाइन में खिचाव के कारण रेल लाइन टूटने की संभावना अधिक होती है। 3.मानव रहित एवंमानव सहित लेवल क्रॉसिंग गेट पर विशेष ध्यान खासकर जाड़े के मौसम में निरीक्षण करना

	चाहिए। 4.कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री मानक के अनुरूप होनी चाहिए। 5.पेट्रॉलिंग के लिए कम से कम दो कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए। 6.यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी शार्ट कट विधि न अपनाये।
एजेंडा–(4)मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	1.किसी अप्रत्याशित घटना तुरंत निपटाने की व्यवस्था तैयार रहना चाहिए। 2.देर से चलने वाली ट्रेनों की फुट प्लेटिंग होनी चाहिए। 3.आवश्यकतानुसार ट्रेनों के उचित अनुरक्षण, रख–रखाव में लगने वाले समय में कमी लाकर तथा मंडलों से खुलने वाली ट्रेनों को समय से खोलने की व्यवस्था करने चाहिए। 4.लेवल क्रॉसिंग गेटों पर सावधानी बरतकर उससे होने वाले हादसों को टालकर। 5.ट्रेनों की साफ–सफाई,वाशिंग में लगने वाले समय को कम करके। 6.कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करके उनके मनोबल को बढ़ाकर। 7.मंडल रेल प्रबंधक के साथ परिचालन से संबंधित अधिकारियों का नियमित मीटिंग कर समस्यों के त्वरित गति से निस्तारण करके। 8.योजना बनाकर मालगाड़ियों को लूप लाइन व उपलब्ध मार्ग पर चलाकर ताकि मेल/एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित न हो।
अध्यक्ष /ईसीआर/ओबीसीई एशो0	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	सेवानिवृत्त कर्मचारी की कागजी कार्यवाही सेवा मुक्त होने से पूर्व तैयार कर लिया जाय तथा सेवानिवृत्ति तिथि के बाद एक सप्ताह के भीतर संबंधित बैंक के मुख्यालय को भेज देना चाहिए।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	1.भविष्य निधि ,अवकाश भत्ता एवं अग्रिम भुगतान को ऑनलाईन किया जाये ताकि अलग–अलग विभाग को आवेदन आने –जाने में लगने वाले समय से बचा जा सके। 2.इस कार्य के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए जो विभिन्न विभागों से मिलने वाले आवेदन पर आवश्यक कार्यवाई तत्परता कर सके।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	1. ट्रेक की लगातार पेट्रॉलिंग ,सिगनलों की लाईट की समुचित व्यवस्था , इंजीनियरिंग बोर्ड, कॉशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड, टर्मिनेटिंग बोर्ड इत्यादि पर विशेष रूप से चमकने वाला बोर्ड लगाना चाहिए। 2. इंजन की लाईट,वाईपर का सही होना तथा सैंड बॉक्स में बालू भरा होना चाहिए। 3. कुहासे में निश्चित दूरी पर पटाखा लगाना चाहिए। फॉग सेफ डिवाइस का सही होना चाहिए।
एजेंडा–(4)मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	1. किसी भी मेल /एक्सप्रेस गाड़ीके आगे पैसेंजर तथा मालगाड़ी नहीं चलाया जाये। 2. जंक्शन /स्टेशनों पर अधिक समय तक आउट साइड गाड़ी खड़ी न किया जाये। 3. मेल /एक्सप्रेस गाडियों में लोडिंग/अनलोडिंग निर्धारित ठहराव समय में ही कर लिया जाये।
महासचिव/ईसीआर/ओबीसीई एशो0	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिका को ऑन लाईन करने की आवश्यकता है। इससे सभी कर्मचारी/अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका को आसानी से देख कर समझ सकते हैं। इस पुस्तिका में सभी प्रकार की गतिविधियों का समावेश रहता है। पेंशन भुगतान की निश्चित अवधि के अंदर करने के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग

	का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहां दोनों विभाग में सामंजस्य स्थापित होना अति आवश्यक है। रेल कर्मचारी/परिवार को मिलने वाला लाभ का रिपोर्ट बनाने एवं समय पर जमा करने में विभाग के हित निरीक्षक का योगदान सबसे अधिक है। कर्मचारी का सेवानिवृत्त हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो या अन्य प्रकार के कैजुअल्टी केश सभी का रिपोर्ट बनाकर हित निरीक्षक को ही सक्षम अधिकारी के पास जमा करना होता है। तत्पश्चात् लेखा विभाग के द्वारा विधिक्षा पर कर्मचारी/ कर्मचारी के परिवार को मिलता है। हित निरीक्षक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को छोड़कर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति या कैजुअल्टी की केश फाईल सही समय पर सही रिपोर्ट लगाकर सक्षम अधिकारी के पास जमा नहीं कर पाते, कुछ न कुछ कमी रहता है, जिस कारण समयावधि के अन्दर भुगतान सही रूप में नहीं हो पाता एवं सक्षम अधिकारी समय कम रहने के वजह से समय के अन्दर समस्या का निष्पादन कर ही नहीं पाते कैजुअल्टी के केश में समस्याएं ज्यादा ही रहती हे। इस परिपेक्षय में हित निरीक्षक अपनी सेवा भावना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्वेच्छा सेवानिवृत्त केश को सही वक्त पर सक्षम अधिकारी के पास भेजना चाहिए एवं कैजुअल्टी के केश में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का रिपोर्ट, कर्मचारी के सेवाकाल का रिपोर्ट सहीं वक्त पर बनाकर कर्मचारी हित में सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करे जिससे सक्षम अधिकारी केश फाईल का निष्पादन सवमयावधिके अन्दर कर लाभ दिला सके।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	• कर्मचारियों केभविष्य निधि के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वरीयता के अनुसार रजिस्टर बनाकर लेखा विभाग को भेजी जाती है। उस सिरियल के अनुसार भविष्य निधि की रकम पास नही हो पाता है, समय का काफी अंतर हो जाता है। कर्मचारियों के भविष्य निधि की निकासी के लिए कार्मिक विभाग द्वारा बनाकर भेजे गये सिरियल के अनुसार लेखा विभाग को पास कर देना चाहिए। • भविष्य निधि का रकम निकालते वक्त प्रत्येक बार कर्मचारियों को नॉमनि फार्म भरना पड़ता है। इस संबंध में प्रत्येक कर्मचारी पहले ही भविष्य निधि के लिए अपना नॉमनि का नाम दर्ज कर देते है,इसके बावजूद पुनः नॉमनि भरना पड़ता है। इसे सेवा पुस्तिका की भांति कम्प्यूटराईज करने की आवश्यकता है,जिससे भविष्य निधि लेने में परेशानी से बचा जा सकता हैएवं कागज की बचत हो सकती है। • भविष्य निधि निकालने के लिए कम्प्यूटराईज फार्म का नोटिफिकेशन हुआ था,अपरिहार्य कारणों से पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो सका ,इसे सभी मंडल में लागू करने की आवशयकता है,जिससे समय की बच्त एवं निश्चित समयावधि के अंदर भुगतान हो सके। • कर्मचारियों के अवकाश के लिए जो स्लीप/लीव सीट सभी विभागों से कार्मिक विभाग में आता है,जिसे संभाल कर रखलेते है किंतु सेवा पुस्तिका में समय से दर्ज नही हो पाता है। इसका प्रभाव कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी के वैलेंस में काफी कठिनाई होती है साथ ही लेखा विभाग भी समय पर निस्तारण नहीं करते। • कर्मचारियों के वेतन पर्ची में केवल छुट्टी का वैलेंस ही दिखता है ,छुट्टी के रूप में एल.ए. पी. /एच.एल.ए.पी. की ब्यौरा सही –सही अंकित नही हो पाता है, इस कमी को तत्काल वेतन पर्ची में सुधार करने की आवश्यकता है। • कर्मचारियों को प्रशिक्षण में जाने ,त्योहार पर ,प्रशासन द्वारा कर्मचारी को अन्य स्थान पर कार्य करने के प्रयोजनार्थ अग्रिम भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हित में अग्रिम भुगतान देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	

3.1	1. जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन के लिए सभी रनिंग कर्मचारियों को जाड़े के मौसम आने से पहले जिनका रिफ्रेशर, टेक्नीकल, पी.एम.ई. Due होनेवाला हो उन्हें जाड़े से पहले करा लिये जाये। 2. लोको पायलट को सिगनल लोकेशन पुस्तिका अप–टू–डेट मिलना। 3. लोको पायलट को एफ.एस.डी. (फॉग सेफ डिवाईस) मिलना आवश्यक हो। 4. गार्ड का टेल लैम्प निश्चित आकारका एल.ई.डी तथा एल.वी. बोर्ड रेट्रो रिफ्लेक्टर टाईप का होना। 5. गार्ड व लोको पायलट को टॉर्च एल.ई.डी. उपलब्ध होना। 6. लम्बी दूरी के क्रू लिंक को शॉर्ट क्रू लिंक बनाया जाना। 7. लोकोमोटिव में हेड लाईट फ्लेशर लाईट, मार्कर लाईट, वाईपर सैण्डर, वी.सी.डी. कार्यरत होना चाहिए। 8. डिस्टैंस सिगनल के सामने ट्रैक पर चूने के सफेद पट्टी से रंगा होना तथा सिगनल का पोस्ट काला व पीला पट्टी रेट्रो रिफ्लेक्टर टाईप लगना चाहिए जो रोशनी पड़ने पर चमकदार दिखे। 9. W/L, RW/L , बोर्ड सभी इंजीनियरिंग बोर्ड, कॉशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड, टर्मिनेटिंग बोर्ड, वार्निंग बोर्ड, गुड्स/पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, सिग्मा बोर्ड सभी रेट्रो रिफ्लेक्टर टाईप से लिखा या स्टीकर चिपका होना एवं सिगनल पर 'एरो →' का मार्किंग होना चाहिए। 10. गेट के बेरियर पर काला–पीला चमकदार पट्टी लगा होना चाहिए जिससे इंजन/वाहन का लाईट पड़ते ही दिखाई देने लगे। 11. सिंगल लाईन में डिस्टैंस सिगनल से 270/280 मीटर पर पटाखा लगाना। 12. विजबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट (वी.टी.ओ.) पोस्ट को समय–समय पर दुरूस्त करना। 13. कुहासे के समय रात में यार्ड में शंटिंग कम से कम करायी जाय यदि यार्ड मेन लाईन से अटैच हो तो जब तक आवश्यक न हो शंटिंग न करायी जाय। 14. सुरक्षित परिचालन के लिए ट्रेनिंग स्कूल, टी.आई., एस.आई.,सी.एल.आई. के द्वारा सभी लाईन में कार्यरत कर्मचारियों की गहन कांउसिलिंग करायी जाय।
एजेंडा–(4)मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	1. मेल/एक्स. गाड़ियों के लिए ग्रेडिंग के अनुसार क्रू का बुकिंग की जानी चाहिए। 2. लोको पायलट को बेहतर प्रशिक्षण व प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में अलग– अलग लोकोमोटिव का प्रशिक्षण कराया जाना तथा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में सेमुलेटर प्रशिक्षण की व्यवस्था होना। 3. लोकोमोटिव व कोच का मेंटेनेंस समय–समय पर अच्छी तरह होना साथ ही पुराने या अधिक समय से रखे पार्ट को लोकोमोटिव एवं कोच में न लगाना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। 4. लोको पायलट को सेक्शन का सही लर्निंग होना तथा क्रू को सहीं लिंक पर कार्य करना (क्रू लिंक पर कार्य करना)। 5. सेक्शन में इंजीनियरिंग बोर्ड सही आकार एवं सहीं स्थान पर लगा होना। 6. सिगनल की दृश्यता साफ व स्पष्ट होनी चाहिए। 7. सेक्शन में कॉशन कम से कम हो। 8. गार्ड एवं लोको पायलट के बीच संचार के साधन सहीं होना। 9. गार्ड को समय पर गार्ड बॉक्स गाड़ी तक पहुॅचाना। 10. मेल/एक्स. गाड़ियों के आगे–आगे पैसेन्जर या अन्य कोई गाड़ी न चलाई जाये। इसमें अतिरिक्त ठहराव से परिचालन प्रभावित होता है। 11. गाड़ियों के समय से बहुत पहले लोको पायलट या गार्ड को कॉल कराया जाना तथा प्लेटफार्म पर अधिक समय तक wait करना जिससे Pre departure time बढ़ जाता है। 12. जंक्शन स्टेशन में गाड़ियों का लेट में आगमनतथा प्रस्थान करना जिससे गाड़ियांout side

	कम से कम खड़ी हो इसकी समय में सुधार करना। 13. मेल /एक्स. गाड़ियों में same लोड व पावर से चलाने पर समय की बचत होगी। 14. मेल/एक्स. गाड़ियों के लिए इंजन काटना एवं दूसरा इंजन को जोड़ने का कार्य टी.एक्स. आर. अनुभाग द्वारा कराया जाना। 15. मेल/एक्स. गाड़ियों में स्कॉर्टिंग (आर.पी.एफ) की दुरूस्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे चैन पुलिंग न हो।
प्रमुसिदूइं	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	पेंशन भुगतान को निश्चित अवधि में करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका,अवकाश लेखा,सर्विस कंटीन्यूटी तथा पी.एफ.बैलेंस अवकाश प्राप्ति के कम से कम 6 महीने पहले विभाग द्वारा अद्यतन कर लिया जाये तथा संबंधित बैंक से त्वरित कार्रवाई हेतु समन्वय स्थापित किया जाय।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु यह आवश्यक है कि उपरोक्त सभी के लिए आवेदन ऑनलाईन करने की सुविधा रेलवे कर्मचारी के वैबसाइट /मोबाईल आवेदन के माध्यम से प्रदान की जाए तथा इनके निष्पादन हेतु एक निश्चित अवधि सुनिश्चित की जाए।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	जाड़े एवं कुहासे के मौसम में संरक्षित रेल परिचालन हेतु निम्नलिखित सुझाव हैः (1) इस संबंध में दिए गए दिशा–निर्देशों यथा फाग सिगनल लगााना ,लुमिनस स्ट्रीप लगााना इत्यादि सुनिश्चित किया जाय तथा नियमों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए तथा इस संबंध में लोको पायलट एवं ट्रेन पासिंग स्टाफ की काउंसलिंग की जाए एवं सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया जाय। (2) इन समस्याओं से निपटने के लिए कैब सिगनलिंग लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	• गाड़ी की रनिंग की मानिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। गाड़ी के परिचालन में आने वाली बाधाओं का शीघ्र निपटान किया जाए। • व्यस्त खंडों में ऑटोमैटिक सिगनलिंग की व्यवस्था की जा सकती है। • गति प्रतिबंध कम किया जाए। • व्यस्त खंडों में बाईपास लाईन की व्यवस्था किया जाए।
प्रमुपरिप्र	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	• केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन भुगतान की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं। यह सेवा पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल पर उपलब्ध है। • पेंशन वितरण में विलंब रोकने के लिए केंद्र ने सभी केंद्रीय कर्मचारियेां को उनकी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के साथ ही उनके अन्य बकायों के भुगतान की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। • वर्तमान में केंद्र सरकार के असैन्य पेंशन भोगियों को अधिकृत बैंकों के जरिए पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है। सेवानिवृत्ति हो रहे सरकारी कर्मचारी या पेंशन द्वारा बैंक को एक शपथ पत्र जमा करने पर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय पेंशन जारी करता है। • कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि यहदेखने में आया है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के प्रथम भुगतान में दो कारणों से विलंब होता है। पहला कारण पेंशनभोगी द्वारा यह सूचना देने में विलंब कि पेंशन के कागजात बैंक के पास जमा करा दिए गए हैं। दूसरा कारण शपथ पत्र जमा करने के लिए पेंशनभोगी की ओर से बैंक को संपर्क करने में विलंब है। • मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है पेंशनभोगी को पेंशन के प्रथम भुगतान को सक्रिय करने के लिए अब बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए, यह पक्का होने के बाद की बैंक की प्रति केंद्रीय पेंशन

	लेखा कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है, पेंशन भोगी की पीपीओ की प्रति उसे सेवानिवृत्ति के समय सौंपी जा सकती है। • मंत्रालय ने कहा है कि यह उन सभी मामलों में व्यवहारिक है जहां सरकारी कर्मचारी ने समय सीमा के भीतर पेंशन के कागजात जमा करा दिए हैं।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	इस संबंध में सभी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को इस कार्यालय का सं. ECR/OPTG. Safety/Fog Precaution/48/505, दिनांक 01.08.2017, 20.09.2017, 09.10.2017, एवं 01.11.2017 को पत्र लिखा गया है। पुनः इस संबंध में सभी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को इस कार्यालय के पत्र सं0 ECR/OPTG. Safety/Fog Precaution/48/505, दिनांक 03.10.2018 एवं दिनांक 11.10.2018 को पत्र लिखा गया है। जिसमें जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु G&SR 3-61 के प्रावधानों को Fog weather से पहले पुरा कर लिया जाय, जिससे रेलवे गाड़ियों का संरक्षित परिचालन हो सके।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	1. समय–समय पर ट्रेनों के इंजन व गार्ड के डिब्बे में बैठकर फुट प्लेटिंग करके तकनीकी खामियों का निरीक्षण कर उसे तत्काल दूर कर समय पालन में सुधार किया जा रहा है। 2. चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने की घटनाओं पर आरपीएफ द्वारा अंकुश लगा कर समय पालन में सुधार किया जा रहा है। 3. पर्याप्त संख्या में मेंटीनेंस ब्लॉक देने से, इंजीनियरिंग विभाग, टीआरडी व सिगनल एवं दूरसंचार विभाग को ट्रेनों के परिचालन में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जो के रखरखाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इससे रेल परिचालन एवं समय पालन सुधार किया जा रहा है। 4. नई रेल लाइन शुरू करने, मेन लाइन की सवारी गाड़ियों के कन्वेंशनल रैक के बदले में मेमू रैक में चलाने, पैनेल इंटर लाकिंग सिस्टम शुरू करने से समय पालन में सुधार किया जा रहा है। इस तरह से मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन मे सुधार किया जा रहा है।
प्रविस	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	लेखा विभाग में पेंशन भुगतान के मामले को निम्न दो भागों में विभागों वर्गीकृत किया है। :– (1) सामान्य सेवानिवृति के मामले ,अर्थात अधिवार्षिता उपरांत एवं (2) असामान्य सेवानिवृति के मामले यथा मृत्योपरांत, स्वैच्छिक सेवानिवृति आदि। सामान्य सेवानिवृति के मामलों में पेंशन सहित समस्त लाभों का भुगतान संबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृति तिथि को ही निष्पादित कर दी जाती है। जबकि असामान्य सेवानिवृति के मामलों में यह अवधि कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारियों के बिलों को लेखा विभाग में IPAS पोर्टल पर हस्तांतरित किए जाने एवं संबंधित संचिकाओं को उपलब्ध कराने की तिथि से अधिकतम 10 दिनों तक रखी गई है।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	इस संदर्भ में लेख है कि कर्मचारियों को अवकाश/अग्रिम भुगतान पारित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, साथ ही लेखा वभाग के भ.नि. अनुभाग में कर्मचारियों का भ.नि. अग्रिम आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अपवादिक मामले को छोड़कर एक से दो कार्य दिवस में अग्रिम पारित कर भुगतान हेतु खाता अनुभाग को सीओ 07 भेज दिया जाता है।
प्रमुसुआ	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान के लिए सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों का सर्विस बुक समय से पूर्व संबंधित लेखा विभाग से विधीक्षण कराकर एवं अन्य कागजात मंगाकर उनका पूरा विवरण तैयार कर भुगतान हेतु लेखा विभाग को भेजा जाय, जिससे निश्चित अवधि के अंदर पेंशन का भुगतान हो सके ।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	

2.1	कर्मचारी द्वारा दिये गये आवेदन पर नियमानुसार समय से अग्रसारित कर भुगतान की प्रक्रिया हेतु लेखा विभाग को अग्रसारित किया जाता है, जिसके द्वारा कर्मचारी के खाते में RTGS/NEFTके माध्यम से भुगतान होता है । इस प्रकार की कोई कठिनाई प्रकाश में नहीं आई है ।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	जाड़े के दिनों में अक्सर कुहासों के कारण रेलगाड़िया विलंबित होती है, इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । साथ ही रेल परिचालन में कार्यरत् कर्मचारी निर्धारित समय–सीमा से अधिक कार्य में लगे रहने से काफी थक जाते हैं । इससे बड़ी लापरवाही होने की संभावना बढ़ जाती है, जो रेलवे के सुरक्षित परिचालन में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है । इसलिए आवश्यक है कि विभाग द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग रेल परिचालन में लाया जाय, ताकि जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन चलता रहे ।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	रेलगाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ रेल पटरियों का अतिरिक्त विस्तार भी नितांत आवश्यक है । मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों हेतु मालवाहक गाड़ियों से अलग रेल लाईन की व्यवस्था किये जाने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है । समय पालन में सुधार के लिए गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर कौन गाड़ी किस सेक्शन में कितनी देर करती है; उसका उचित कारण जानकर समाधान कराना जरूरी है । चेन पुलिंग या आपराधिक घटनाओं के कारण हो रही देरी में चिन्हित गाड़ियों में मार्गरक्षण कराया जाता है ।
प्रमुयांई	
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	जाडे. के मौसम मे कोचिंग ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। एसी एवं नॉन एसी कोचों की समुचित रख–रखाव जैसे क्षतिग्रस्त खिड़कियों एवं दरवाजों की मरमम्त, वाटर सिस्टम का सही रख–रखाव इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है । जाड़े के मौसम से पहले हीं लोको के सुरक्षित परिचालन हेतु निर्देश जारी कर सभी मंडलों एवं शेडों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाता है। शेडों एवं मंडलों को पत्र सं. ईसीआर/ मेक/डीजल/724 दि. 05.10.18 के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	रख–रखाव की गुणवत्ता को बढाने हेतु सुपरवाईजरएवं कर्मियों का प्रशिक्षण एवं कांउसिलिंग किया जाता है । स्पेशल ड्राईव/सरप्राईज चेकके द्वारा रख–रखाव की मेल/एक्सप्रेस गाडियों के समय पालन में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशोंका समुचित गुणवत्ता में सुधार किया जाता है । आवश्यक सामानों कीआपुर्ति सुनिश्चित की जाती है।
प्रमुसाप्र	
एजेंडा–(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	'सेवानिवृत्ति' किसी रेल कर्मचारी के कार्य काल का अंतिम पड़ाव होता है। इस तिथि के बाद उनके जीवन का लक्ष्य तथा उद्देश्य बदल जाता है, अतः उन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में पेंशन एक प्रमुख अंशदान होता है अतः इसका समय अवधि में भुगतान किया जाना पुरी रेल परिवार का जबावदेही होनी चाहिए। यह उनके प्रति सम्मान होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को ध्यान देना आवश्यक है। 1. कर्मचारी के कार्यकारी विभाग के संबंधितों को चाहिए कि कर्मचारी से संबंधित सभी संगत दस्तावेज कार्मिक विभाग को समयावधि में उपलब्ध कराए। 2. कार्मिक विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि निश्चित समयावधि में कर्मचारी से संबंधित सभी संगत दस्तावेज को पूर्ण कर लेखा विभाग को भेजा जाए। 3. लेखा विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि निशिचित समयावधि में बिल पास कर भुगतान को सुनिश्चित करें।
एजेंडा–(2)कर्मचारियों को भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान में होने वाली कठिनाईयां।	
2.1	कर्मचारियों के भविष्य निधि/अवकाश/अग्रिम भुगतान का मामला कर्मचारियों के हितों से जुड़ा मामला

	है।इसका समय अवधि मेंकार्यवयन न किया जाना एक मूल समस्या है। अतः इस लक्ष्य को समयावधि में प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को ध्यान देना आवश्यक है। 1. कर्मचारी के कार्यकारी विभाग को चाहिए कि कर्मचारी से संबंधित सभी संगत दस्तावेज (leave record etc)कार्मिक विभाग को समयावधि में उपलब्ध कराये। 2. कार्मिक विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि निश्चित समयावधि में कर्मचारी से संबंधित सभी संगत दस्तावेज को पूर्ण कर लेखा विभाग को भेजा जाए। 3. लेखा विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता को सही तरीकों से रखरखाव करें तथा निश्चित समयावधि में बिल पास कर भुगतान को सुनिश्चित करें।
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	रेलवे परिचालन को सुरक्षित–सुगम तथा सुनिश्चित करना ही रेल विभाग का उद्देश्य है लेकिन जाडे के मौसम में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चुनौती पूर्ण रहता है। यद्यपि इससे निपटने के लिए कई योजनाओं तथा कार्य प्रणाली उन्नत की गयी है फिर भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। चुनौती को आसान करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक हैः– 1. संबंधित विभाग को सभी संगत सामाग्रियों यथा–फॉग सिग्नल आदि की व्यवस्था समय अवधि के पूर्व ही किया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि संबंधित विभाग द्वारा समयावधि में फॉग सिगनल आदि का मांग पत्र भंडार विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है अतः इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि खरीदारी में निश्चित समय लगता है। 2. ऐसे तो सभी रेल कर्मचारियों/अधिकारियों का कर्तव्य एवं उदेश्य होता है कि रेल परिचालन सुरक्षित एवं सुगम रहे। लेकिन परिचालन– सिगनल–इंजिनियरिंग विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को ऐसे समय में अधिक सतर्क रहना चाहिए।
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	रेल परिचालन में समय पालन का अधिक महत्व है। पूरी रेल व्यवस्था ही समय पर आधारित है। इस क्रम में मेल /एक्सप्रेस/यात्री गाडियों का समय पर परिचालन एक प्रमुख्य कार्य है। पूरा रेल नेटवर्क हमारे देशवासियों को परिवहन संबंधी सेवा प्रदान कर रहा है। इसलिए इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा गया है। हमारा देश विविध संस्कृति–मौसम–भगौलिक स्थिति का धनी है अतः पूरे देश में रेल नेटवर्क को समय पर चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। गाडियों के परिचालन में समय सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। ● आरंभ होने वाले स्टेशन में संबंधित गाडियों के रेक को समय पर फिट दिया जाए। ● तीव्र गति की गाडियां चलाई जाएं और उसके लिए रॉलिंग स्टॉक एवं रेल के ट्रैक को उपयुक्त बनाया जाए। ● सिगनलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया जाय।
प्रमुवाप्र	
एजेंडा–(4) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
4.1	समय पालनसुनिश्चित करने में वाणिज्य विभाग निम्न विन्दुओं पर सचेष्ट रहता है। ● पार्सल की उतराई/चढ़ाई को निर्धारित ठहराव के अंदर पूरा करना। ● आरक्षण चार्ट का ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से चार धंटे के भीतर स्वतः चार्टिंग हो जाना । ● सभी टिकट चेकिंग कर्मी (टीटीई) को ए.सी.पी. पर कड़ी निगाह रखना और आर.पी.एफ. से समन्वय बनाए रखना।
मुसंधि	
एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
3.1	**(क) जाड़े के मौसम में –** (i) सभी गुड्स वार्निंग बोर्ड, सी/फा बोर्ड, लिफ्टिंग बैरियर आदि को ल्यूमिनस पीला/काला पेंट से पेंटिंग कराया जाना तथा जहां आवश्यक हो, ल्यूमिनस स्ट्रीप का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

(ii) पर्याप्त मात्रा में डेटोनेटर की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
(iii) स्टेशन मास्टर फॉग सिगनल मैन को समुचित काउंसलिंग कर फॉग सिगनल रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त करा लेना चाहिए।

(ख)पटाखा लगाने की विधि–

(i) पहला स्टॉप सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखा सिगनल लगाना चाहिए ।
(ii) मल्टीपुल आस्पेक्ट सिगनलिंग व्यवस्था जहां एक ही डिस्टेंट सिगनल लगा है वहां पर होम सिगनल के निकट डेटोनेटर लगाया जाना चाहिए।
(iii) 'बी' क्लास स्टेशन जहां लोअर क्वाडरेंट सिगनलिंग व्यवस्था है वहां आउटर सिगनल के पास डेटोनेटर लगाना चाहिए।

(ग)इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

(i) पेट्रोलिंग मैन की व्यवस्था की जानी चाहिए जो रेल फ्रैक्चर को देखकर उचित कार्रवाई करें एवं संबंधित अधिकारी को सूचित करे ।

(घ)लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

(i) कुहासे के मौसम में जहां दृश्यता बहुत कम हो वहां लोको पायलट द्वारा ट्रेन इतना गति से चलाई जानी चाहिए कि वह किसी भी बाधा पर अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर रोक सके।
(ii) एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में –ट्रेन की अधिकतम गतिसीमा 60 कि.मी/घंटा हो।
(iii) **(अ)** ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में– ऑटोमैटिक स्टॉप सिगनल 'हरा' पास करने के बाद ट्रेन की अधिकतम गति 60 कि.मी/घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
(ब) ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'डबल पीला' पास करने के बाद ट्रेन की गति 30 कि.मी/घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
(स) ऑटोमेटिक सिगनल 'पीला' पास करने के बाद प्रतिबंधित गति से अगला स्टॉप सिगनल पर रूकने के लिए तैयार रहना चाहिए।
(iv) लोको पायलट द्वारा गेटमैन एवं सड़क उपयोगकर्त्ता को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी इंटरमिटेंटली बजाया जाना चाहिए।

(v) स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य –
(क) सभी सिगनल दिन एवं रात में जलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
(ख) फ्रेश डेटोनेटर आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विशेष सावधानियां–

(i) अप्रोचिंग ट्रेन के लिए लाइन क्लियर देने के बाद नन आइसोलेटेड लाइन में शंटिंग नहीं किया जाना चाहिए।
(ii) यदि दृश्यता कम हो तो किसी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर देने के बाद शटिंग नहीं किया जाना चाहिए।

प्रमुइं

एजेंडा–(3) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

3.1 जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन हेतु इस कार्यालय द्वारा विस्तृत अनुदेश प्रति वर्ष जाड़े के शुरू होने से पहले जारी की जाती है।इस वर्ष भी अर्द्धशासकिय पत्र संख्याः–ECR/ENG/W-4/432/09/Winter Precaution/Pt.-1/915, दिनांकः16/09.10/11.2017 द्वारा सभी मंडलों को भेजागया है जिस पर मंडल द्वारा जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चितकी जाती है।

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 27.11.2018) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	**श्री एल.सी. त्रिवेदी,महाप्रबंधक,सह अध्यक्ष / प्रेम ग्रुप**		
1.1	पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलीय अस्पताल के केबिन में टी.वी. फ्रीज, सोफासेट,बैठने के लिए चेयर आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	पूमरे के सभी मंडलीय चिकित्सालय के केबिन में टी.वी. फ्रीज सोफासेट, बैठने के लिए चेयर आदि की आपूर्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है। अनुपालन किया जाएगा।–**मंरेप्र समस्तीपुर** धनबाद मंडल रेल अस्पताल के केबिन में टी.वी. फ्रीज, सोफासेट,बैठने के लिए चेयर आदि की समुचित व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। – **मंरेप्र धनबाद** प्रबंध किया जाएगा।– **मंरेप्र सोनपुर** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।–**मंरेप्र मुगलसराय** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।–**मंरेप्र दानापुर**
1.2	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना एवं सभी मंडलीय अस्पतालों में मरीजों के लिए कॉमन लॉकर या बेड में छोटे लॉकर की व्यवस्था कराई जाय ।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	पूर्व से ही मरीजों के लिए बेड में छोटे लॉकर की व्यवस्था है एवं कॉमन लॉकर की व्यवस्था की जा रही है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल,धनबादमें मरीजों के लिए लॉकर या बेड में छोटे लॉकर के लिए स्थानीय स्तर पर क्रय करने की व्यवस्था की जा रही है।– **मंरेप्र धनबाद** प्रबंध किया जाएगा।– **मंरेप्र सोनपुर** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।–**मंरेप्र मुगलसराय** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।–**मंरेप्र दानापुर**
1.3	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना एवं सभी मंडलीय अस्पतालों के आर्थोपेडिक वार्ड एवं केबिन में टेलीवीजन की व्यवस्था की जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	केन्द्रीय चिकित्सालय के ऑर्थोपेडिक वार्ड एवं केबिन में टेलीविजन की व्यवस्था उपलब्ध करा दिया गया है। अनुपालन किया जाएगा।–**मंरेप्र समस्तीपुर** धनबाद मंडल रेल अस्पताल में आर्थोपेडिक वार्ड एवं केबिन में

			टेलीवीजन की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। – **मंरेप्र धनबाद** प्रबंध किया जाएगा।– **मंरेप्र सोनपुर** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।**–मंरेप्र मुगलसराय** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.4	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना एवं सभी मंडलीय अस्पतालों में जन आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा गैस,माइक्रोवेव ओवेन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाय ताकि मरीजों के परिजन को स्वयं खाना बनाने की सुविधा प्राप्त हो ।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	इनडोर रोगी के लिए जन आहार का व्यवस्था किया गया है तथा अन्य सुविधा के लिए अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है। अनुपालन किया जाता है,तथा मरीजों के परिजन के लिए डारमेट्री की व्यवस्था उपलब्ध है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** धनबाद मंडल में महिला समिति द्वारा एक रेस्टुरेंट तथा जन आहार चलाया जा रहा हैं। मरीजों के परिजन को स्वयं खाना बनाने की व्यवस्था की जारही है। – **मंरेप्र धनबाद** प्रबंध किया जाएगा।– **मंरेप्र सोनपुर** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।**–मंरेप्र मुगलसराय** सभी व्यवस्था त्वरित गति से की जा रही है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.5	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना सहित सभी मंडलीय अस्पतालों में रेजिडेन्ट डॉक्टर की व्यवस्था की जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	शीघ्र ही रेजिडेण्ट डॉक्टर का व्यवस्था किया जाएगा। अनुपालन किया जाएगा।**–मंरेप्र समस्तीपुर** धनबाद मंडल रेल अस्पताल में रेजिडेन्ट डॉक्टर का पद स्वीकृत नही है। – **मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में रेजिडेन्ट चिकित्सक का पद स्वीकृत नही है।**–मंरेप्र सोनपुर** CMP का Notification दियाजा रहा है।**–मंरेप्र मुगलसराय** CMP का Notification दियाजा रहा है। **–मंरेप्र दानापुर**

1.6	मंडलीय अस्पताल, दानापुर में इंडोर चिकित्सा व्यवस्था को प्रमुख अस्पताल के रूप में विकसित किया जाय और यहां कैंसर एवं नेफ्रोलोजी की चिकित्सा के साथ ही सीटी स्कैन एवं एमआरआई की व्यवस्था की जाय।	**प्रमुचिनि** **मंरेप्र/दानापुर**	नेफ्रोलॉजी की चिकित्सा हेतु एक डाईलिसीस मशीन के क्रय की संचिका प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ पीपीपी मोड पर डाईलिसीस का कार्य कराने हेतु संचिका महाप्रबंधक महोदय को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है। पीपीपी मोड पर सीटी स्केन एवं एमआरआई की व्यवस्था हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया था लेकिन किसी भी फर्म के द्वारा उक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सहमति अभीतक प्रदान नही किया गया है प्रयास जारी है। दानापुरमंडल रेल अस्पताल में व्यवस्था किया जा रहा है।
1.7	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना एवं सभी मंडलीय अस्पतालों में सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन उपलब्ध कराई जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	पीपीपी मोड पर कार्य हेतु किसी भी फर्म के द्वारा अभीतक सहमति प्रदान नही किया गया है। प्रयास जारी है। सीटी स्कैन एवं एमआरआई के लिए आउटसोर्स की व्यवस्था उपलब्ध है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** धनबाद मंडल रेल अस्पताल में सीटी स्कैन एवं एमआरआई के लिए आउटसोर्सकी व्यवस्था है तथा पीपीपी मॉडल की व्यवस्था की जारहीहैं।–**मंरेप्र धनबाद** सोनपुरमंडल में सीटी स्कैन एवं एमआरआई के लिए आउटसोसिंगकी व्यवस्था एवं पीपीपी मॉडल की व्यवस्था की जा रहीहैं।–**मंरेप्र सोनपुर** प्रक्रियाधीन है।–**मंरेप्र मुगलसराय** प्रक्रियाधीन है।–**मंरेप्र दानापुर**
1.8	सभी मंडलीय अस्पतालों में वरि. मंडल सामग्री प्रबंधक को अपने कार्य के अतिरिक्त मंडलीय अस्पताल के निविदा एवं सामग्री खरीदने हेतु प्रशासक के रूप में कार्यभार दिया जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	यह नीतिगत मामला है। प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।–**मंरेप्र समस्तीपुर** वरि.मंडल सामग्री प्रबंधक /धनबाद को इसकी सूचना दिया जा चुका है।–**मंरेप्र धनबाद** वरि.मंडल सामग्री प्रबंधक /सोनपुर को इसकी सूचना दिया जा चुका है।–**मंरेप्रसोनपुर**

			स्थानीय आदेश जारी किया गया है। **–मंरेप्र मुगलसराय** स्थानीय आदेश जारी किया गया है। **–मंरेप्र दानापुर**
1.9	यह सुनिश्चित किया जाय कि रात्रिकालीन हॉस्पीटल इंचार्ज रेलवे चिकित्सक अपने मोबाईल कॉल को रिसिव करें।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	सुनिश्चित किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** इस संबंध में उचित निर्देश जारी कर दी गई है। –**मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर के रात्रिकालिन हॉस्पीटल इंचार्ज अपने मोबाईल पर कॉल रिसिव करते है।–**मंरेप्र सोनपुर** सुनिश्चित किया जा रहा है।–**मंरेप्र मुगलसराय** सुनिश्चित किया जा रहा है।–**मंरेप्र दानापुर**
1.10	रात्रिकालीन कार्यरत रेलवे चिकित्सक को मरीजों के देखभाल हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	रात्रिकालीन कार्यरत रेलवे चिकित्सक के द्वारा मरीजों का देखभाल जिम्मेदारीपूर्वक किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** इसके लिए 24 घंटे आपातकालिन सेवा उपल्बध है।–**मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में रात्रिकालिन कार्यरत रेलवे चिकित्सक मरीजों के ईलाज हेतु मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में उपलब्ध रहते है।– **मंरेप्र सोनपुर** आकस्मिक कक्ष में 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध कराया जा रहा है। **–मंरेप्र मुगलसराय** आकस्मिक कक्ष में 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध कराया जा रहा है। **–मंरेप्र दानापुर**
1.11	रेलवे हॉस्पीटल में प्राईवेट सेक्टर की तरह सभी प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अनुपालन किया जा रहा है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** सभी प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के लिए इंडेंट भेजा जा चुका है।–**मंरेप्र धनबाद** प्रबंध किया जाएगा।– **मंरेप्र सोनपुर**

			प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।**–मंरेप्र मुगलसराय** प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.12	कौनहाराघाट रेलवे कॉलोनी में एक पॉली क्लिनिक की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाय।	**प्रमुचिनि**	मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर के द्वारा कौनहाराघाट रेलवे कॉलोनी में पॉलीक्लिनिक की सुविधा व्यवस्थाउपलब्ध कराने में असहमती दी गई है।
1.13	किसी भी बीमार रेलवे कर्मचारी को प्रथमतः बिना किसी प्रक्रिया के तत्काल ईलाज कर उसकी जान बचाने का प्रयास किया जाय चाहे उसके पास सीक मेमो हो या ना हो और ईलाज के उपरांत जो भी अपेक्षित प्रक्रिया हो पूरा किया जाय। मरीज के परिजन चाहे प्राइवेट वाहन से आयें उन्हें आने दिया जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	इसका अनुपालन पूर्व से ही किया जा रहा है। अनुपालन किया जाता है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल,धनबाद में गम्भीर मरीजों का तत्काल उपचार किया जाता है इसके लिए मरीजों के पास उचित पेपर हो या नहीं।**–मंरेप्र धनबाद** मरीजों का ईलाज तत्काल किया जाता है।– **मंरेप्र सोनपुर** इसका अनुपालन किया जा रहा है।**–मंरेप्र मुगलसराय** इसका अनुपालन किया जा रहा है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.14	सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में व्हील चेयर की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	व्हील चेयर की व्यवस्था पूर्व से पूमरे के सभी अस्पतालों में है। अनुपालन किया जाता है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल,धनबादमें मरीजों के लिए समुचित मात्रा में व्हील चेयर की व्यवस्था की जा रही है।**–मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में व्हील चेयर की व्यवस्था है। – **मंरेप्र सोनपुर** व्यवस्था सुनिश्चित किया जा चुका है।**–मंरेप्र मुगलसराय** इसका अनुपालन किया जा रहा है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.15	अस्पतालों में स्ट्रेचर उठाने वाले रेलकर्मियों की कमी को आउटसोर्सिंग से पूरा किया जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है। अनुपालन किया जाता है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल,धनबादमें स्ट्रेचर उठाने वाले रेलकर्मियों की कमी को आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की जा रही

			है।–**मंरेप्र धनबाद** प्रबंध किया जाएगा।– **मंरेप्र सोनपुर** कमी को पूरा किया जा रहा है।**–मंरेप्र मुगलसराय** कमी को पूरा किया जा रहा है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.16	सभी रेफर्ड केस जिन्हें बीमारी को कंर्फम्ड किया जा चुका है बिना चेक किये उसे अबिलम्ब ईलाज शुरू किया जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	यह व्यवस्था पूमरे के सभी अस्पताल में पूर्व से ही लागू है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** यह व्यवस्था मंडल रेल अस्पताल,धनबादमें पहले से ही लागू है। **–मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में इसकी व्यवस्था है।– **मंरेप्र सोनपुर** अमल में लाया जाएगा।**–मंरेप्र मुगलसराय** अमल में लाया जाएगा।**–मंरेप्र दानापुर**
1.17	वर्षों से सीक में चल रहे रेलकर्मी को यदि ईलाज संभव नहीं हो और वह ठीक नहीं हो सकता है तो उसे मेडिकली अनफिट घोषित किया जाय इसके लिए सभी सीएमएस अपने यहां बैठक करें और इन सभी केसों को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाय यदि इसमें रेलवे नियमों से समस्या आ रही हो तो उसे महाप्रबंधक के संज्ञान में लायें।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	वर्षों से सीक में चल रहे रेलकर्मी जिनका ईलाज संभव नहीं है को मंडल चिकित्सा समीति का गठन कर उनके अनुशंसा पर अनफीट किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल,धनबादमेंछः महीने से कोई भी कर्मचारी अनफिट में नहीं है। **–मंरेप्र धनबाद** अनुपालन किया जाएगा। **–मंरेप्र सोनपुर** अमल में लाया जाएगा।**–मंरेप्र मुगलसराय** अमल में लाया जाएगा।**–मंरेप्र दानापुर**
1.18	चिकित्सकों को यदि किसी कार्य करने में बाधा आ रहा हो और उसे मंडलीय एवं मुख्यालय स्तर पर निपटारा नहीं किया जा रहा हो तो उसे महाप्रबंधक के संज्ञान में लाई जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	सुनिश्चित किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** इस तरह का कोई बाधामंडल रेल अस्पताल में नही है।–**मंरेप्र धनबाद** इस तरह का कोई बाधा मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में नही है।–**मंरेप्र सोनपुर** अमल में लाया जाएगा।**–मंरेप्र मुगलसराय** कार्य कर रहे है।**–मंरेप्र दानापुर**

1.19	आईसीयू में मरीजो के ईलाज के लिए दवा खरीद हेतु पचास हजार रूपये रखा जाना सुनिश्चित की जाय।	**प्रमुचिनि** **प्रविस**	उचित कार्यवाही किया जा रहा है। इस मद की अनुपालनमेंइसकार्यालय के पत्रसंईसीआर/फिन/एफसीएन/005/222/346 दिनांक–31/12/18 के द्वाराकेन्द्रियसुपरस्पेश्सलिटीअस्पताल, पटनामेंप्रचालितनगदअग्रदाय को रू 2,00,000/–को बढ़ा कर रू 5,00,000/–करदियागयाहैजिसमेंआईसीयूमेंमरीजो के इलाज के लिए दवा खरीदहेतुपचासहजार रूपये रखाजाना शामिलहै। मंडल वित्त प्रबंधक/समस्तीपुर से वार्ता कर इसकी व्यवस्था की जाएगी।–**मंरेप्र समस्तीपुर** उचित कार्रवाई की जा रही है। –**मंरेप्र धनबाद** उचित कार्रवाई की जा रही है। –**मंरेप्र सोनपुर** प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।**–मंरेप्र मुगलसराय** प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।**–मंरेप्र दानापुर**
1.20	सभी मंडल चिकित्सा अधीक्षक को समुचित कैस ईम्प्रेस्ट स्वीकृत कराना चाहिए।	**प्रमुचिनि,** **सभी मंरेप्र** **प्रविस**	सभी मंडल चिकित्सा अधिक्षक के द्वारा समुचित कैश ईम्प्रेस्ट स्वीकृत किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** उचित कार्रवाई की जा रही है। –**मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर हेतु समुचित केस ईम्प्रेस्ट की व्यवस्थ है। –**मंरेप्र सोनपुर** समुचित व्यवस्था किया गया है।**–मंरेप्र मुगलसराय** समुचित व्यवस्था किया गया है।**–मंरेप्र दानापुर** इस मद की अनुपालनमेंमंडल द्वारा की गईकार्यवाहीनिम्नहैः– **1.मुगलसराय–**इस मद मेंविभागीय कार्रवाई की जाचुकीहैं।

			2.सोनपुर–इस मद मेंमंडलचिकित्सा अधीक्षक/सोनपुरकोपत्र देकरअवगतकराया गया है, कि उनके द्वारासमुचितकैशईम्प्रेस्टकरायाजाए। **3.दानापुर**–इस मद मेंसमुचितकैशईम्प्रेस्टस्वीकृतकरायाजाताहै । **4.समस्तीपुर**–इस मद के अन्तर्गतकोईभीप्रस्तावपूर्वसेनिष्पादनहेतुप्रतिक्षारतनहींहै, आगेइसप्रकारकाकोईप्रस्तावप्राप्तहोताहैतो यथोचितनिष्पादन की जायेगी। **5.धनबाद**–इस मद के संबंन्ध मेंमंडलसेकिसीभीप्रकारकासूचनाप्राप्त नही हुआहैं।
1.21	सभी मंडलीय अस्पतालों में दवाईयों की कमी को दूर करने हेतु एक लाख रूपये तक सिंगल परचेज आर्डर से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक खरीद कर सकते हैं।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	उक्त के लिए एसओपी में सूधार की आवश्यकता है जिसके लिए अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है। अनुपालन किया जाएगा।–**मंरेप्र समस्तीपुर** इस संबंध में अति. मु.चि.नि. ,मुचिधी/धनबाद ,मुचिधी/ मुगलसराय का उपमहाप्रबंध/सा0, हाजीपुर के साथ दिनांक 27.11.2018 को एक बैठक हो चुकी है,जिसमें एस.ओ.पी. में आवश्यक बदलाव के लिए प्रस्ताव बनाकर महाप्रबंधक महोदय ,हाजीपुर के स्वीकृती के लिए भेजा जा चुका है।–**मंरेप्र धनबाद** इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है।–**मंरेप्र सोनपुर** प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।–**मंरेप्र मुगलसराय** प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।–**मंरेप्र दानापुर**
1.22	दानापुर मंडल के लिए नियुक्ति होने वाली नर्सों को केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना में पदस्थापित किया जाय।	**प्रमुकाधि** **मंरेप्र दानापुर** **प्रमुचिनि**	इस विषय पर प्रमुचिनि महोदय का मंतव्य आपेक्षित है। मंडल अस्पताल ,दानापुर से संबंधित कार्य किया जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।
1.23	एआरएमवी को रोड साईड स्टेशन	**प्रमुचिनि**	इसकी उचित व्यवस्था की जा रही है।

	पर बीट में भेजा जाय।	सभी मंरेप्र मुसंधि	निविदा प्रक्रिया जारी है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** इसकी उचित व्यवस्था की जा रही है। **–मंरेप्र धनबाद** इसकी उचित व्यवस्था की जा रही है। **–मंरेप्र सोनपुर** अमल में लाया जा रहा है।**–मंरेप्र मुगलसराय** अमल में लाया जा रहा है। **–मंरेप्र दानापुर** पूर्व मध्य रेल के सभी वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सुक्षाव दिया गया है।
1.24	सेवानिवृत्त कर्मचारियों/कार्यरत कर्मियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट कार्ड जारी करना सुनिश्चित की जाय इसके लिए मानक प्रोफार्मा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं उपमहाप्रबंधक (सा.) को उपलब्ध कराना होगा। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा सभी मंडलो/यूनिट में तय प्रोफार्मा जारी कर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मेडिकल स्मार्ट कार्ड बनाई जाय।	**प्रमुकाधि** **सभी मंरेप्र**	मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रारूप संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। मंडल अस्पताल ,दानापुर में प्रक्रिया की जा रही है।
1.25	सभी रेल अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सीय उपकरण कार्यरत हैं या नहीं इसकी जांच हेतु मंडलीय चिकित्सा अधिकारी के साथ यांत्रिक अधिकारी को संबंद्ध किया जाय।	**प्रमुचिनि** **प्रमुयांई** **सभी मंरेप्र**	सुनिश्चित किया जाता है। उक्त मद में पत्र सं. ECR/MEC/PLG/502/GEN दिनांक 15.01.2019 के द्वारा सभी मंडलों कें वमयाांई/समाडी को निर्देश दिया गया है कि मंडलीय अस्पतालसें में लगे उपकरणें का संयुक्त परीक्षण मंडलीय चिकित्सा अधिकारी के साथ किया जाय। अनुपालन किया जाता है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** यांत्रिक विभाग के अधिकारियों के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारी मिलकर निरीक्षण करने की व्यवस्था की जा रही

			है।—**मंरेप्र धनबाद** यांत्रिक विभाग के अधिकारियों के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारी मिलकर निरीक्षण करने की व्यवस्था की जा रही है। – **मंरेप्र सोनपुर** संबंध किया गया है।**—मंरेप्र मुगलसराय** संबंध किया गया है।**—मंरेप्र दानापुर**
1.26	मरीजों की आवश्यकता के अनुरूप जहां जरूरत हो स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सेवा ली जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	आवश्यकता के अनुसार स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सेवा ली जाती है। अनुपालन किया जाता है।**—मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल,धनबादमें पहले से ही लागू है। –**मंरेप्र धनबाद** मरीजों के आवश्यकता के अनुरूप स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सेवा ली जाती है। – **मंरेप्र सोनपुर** आवश्यकतानुसार लिया जाता है।**—मंरेप्र मुगलसराय** आवश्यकतानुसार लिया जाता है।**—मंरेप्र दानापुर**
1.27	चिकित्सीय उपकरणों को एएमसी के लिए स्पेसिफिकेशन सहित 05 वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए और उस एएमसी को आगे और 05 वर्षों तक बढाया जा सकता है।	**प्रविस**	इस मद की अनुपालनमेंमंडल द्वारा की गईकार्यवाहीनिम्नहैः– **1.मुगलसरा**य–इस मद मेंमेडिकलविभाग द्वाराप्रस्तावभेजनेपरनियमानुसारउचितकार्य वाही की जायेगी। **2.सोनपुर**–इस मद काप्रस्तावमंडलवित्तकार्यालय/सोनपुरको यथाशीघ्रभेजाजाए जिसमेंनियमानुसार विधिक्षणइत्यादि की कार्रवाई के दौरानइसविभाग द्वारासभीअपेक्षितसहयोग की जाएगी। **3.दानापुर**–चिकितसीय उपकरणोंको ए. एम.सी. के लिए स्पेसिफिकेशनसहित 05 वर्षोके लिए दियाजायगाऔर उस ए.एम. सी.कोआगेऔर 05 वर्षोतक बढ़ायाजायेगा। **4.समस्तीपुर**–इस मद के अन्तर्गतकोईभीप्रस्तावपूर्वसेनिष्पादितहेतुप्रि तक्षारतनहींहै, आगेइसप्रकारकाकोईप्रस्तावप्राप्तहोताहैतो

		प्रमुचिनि **सभी मंरेप्र**	यथेचितनिष्पादिन की जायेगी। **5.धनबाद**–इस मद के संबंन्ध मेंमंडलसेकिसीभीप्रकारकासूचनाप्राप्त नही हुआहैं। सुनिश्चित किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** चिकित्सीय उपकरणें को ए.एम.सी में लेने के लिए 5 वर्षों तक की व्यवस्था पहले से ही लागू है, जिसमें 2 वर्षों की वारंटी अवधी शामिल है।–**मंरेप्र धनबाद** चिकित्सीय उपकरणें को ए.एम.सी में लेने के लिए 5 वर्षों तक की व्यवस्था पहले से ही लागू है, जिसमें 2 वर्षों की वारंटी अवधी शामिल है। – **मंरेप्र सोनपुर** अमल में लिया जा रहा है। **–मंरेप्र मुगलसराय** अमल में लिया जा रहा है।–**मंरेप्र दानापुर**
2.0	**श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष/ ईसीआरकेयू**		
2.1	रेलवे हॉस्पीटल में चिकित्सीय उपयोग हेतु उपलब्ध चिकित्सीय उपकरण तकनीकी रूप से अद्यतन होने चाहिए।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	सभी मंडलो व केन्द्रीय चिकित्सालय, पटना का चिकित्सीय उपयोग हेतु उपलब्ध चिकित्सीय उपकरण तकनीकी रुप से अद्यतन है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल, धनबादमें सभी चिकित्सीय उपकरण तकनीकी रूप से ठीक है।–**मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय/सोनपुर के उपयोग हेतु चिकित्सीय उपकरण तकनीकी रूप से अद्यतन है। – **मंरेप्र सोनपुर** इस पर अमल किया जाता है। **–मंरेप्र मुगलसराय** इस पर अमल किया जाता है। **–मंरेप्र दानापुर**
2.2	बहुत से मशीन खराब पड़े है जिसे एएमसी के तहत ठीक कराया जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	सुनिश्चित किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र**

			समस्तीपुर उचित कार्रवाई की जा रही है। **–मंरेप्र धनबाद** उचित कार्रवाई की जा रही है।–**मंरेप्र सोनपुर** कार्रवाई किया जा रहा है।**–मंरेप्र मुगलसराय** कार्रवाई किया जा रहा है।**–मंरेप्र दानापुर**
2.3	अस्पतालों को सीक–फीट का केन्द्र नहीं बनाया जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	जो कर्मचारी शरारिक रुप से बिमार होते है उसे ही सीक में रखा जाता है। **–प्रमुचिनि** अनुपालन किया जाता है।**–मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल, धनबादमें सीक–फीट सिर्फ बीमार लोगों को ही किया जाता है जो काम करने में अस्थायी रूप से अक्षम है। **–मंरेप्र धनबाद** कर्मचारियों के बीमार होने पर और कार्य करने में अस्थाई रूप से अक्षम है को ही सीक दिया जाता है।–**मंरेप्र सोनपुर** अमल में लाया जा रहा है। **–मंरेप्र मुगलसराय** अमल में लाया जा रहा है। **–मंरेप्र दानापुर**
2.4	समस्तीपुर मंडल चिकित्सा कार्यालय से 881 का इंडेंट हुआ जिसमें केवल 115 दवाईयों का आपूर्ति किया गया इसे देखा जाय।	**प्रमुचिनि** **मंरेप्र/समस्तीपुर**	समस्तीपुर मंडल के द्वारा दवा की वार्षिक मॉग 861 में से मंडल लेवल के स्वीकृति के प्राधिकार के तहत 456 मॉग को वापस कर दिया गया था। शेष वार्षिक मॉग 405 में से मुख्यालय, हाजीपुर के द्वारा वर्ष 2018–19 में कुल 242 का पीओ जारी कर दिया गया है। शेष का जल्द ही पीओ जारी कर दिया जाएगा। अभी तक 200 पी0ओ0 मुख्यालय द्वारा प्राप्त किया जा चुका और जिनके 145 दवाइयां प्राप्त किया गया है। चुकी ये मुख्यालय द्वारा पूर्ति किया जाना है, परन्तु वर्तमान में

			इसकी क्षतीपूर्ति मुचिधी के प्राधिकार के द्वारा है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो सके।
3.0	**श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव/ईसीआरकेयू**		
3.1	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना में 73 बेड स्वीकृत हैं; परन्तु वहॉ 150 बेड उपलब्ध है। समुचित संचालन हेतु उचित मैनपावर जरूरी है।	**प्रमुचिनि**	मैनपावर हेतु आउटसोर्स किया जा रहा है जिसका एलओए जारी कर दिया गया है।
3.2	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल, पटना एवं सभी मंडल अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती मरीजों को यदि रेफर करने की आवश्यकता हो; तो उसके लिए आईसीयू में कार्यरत चिकित्सक को निर्णय लेनें का अधिकार हो।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	यह व्यवस्था पूर्व से ही है कि आपातकाल में आईसीयू में कार्यरत चिकित्सक के द्वारा रेल अस्पलात ईंचार्ज से मौखिक आदेश के उपरांत प्राइवेट अनुबंधित अस्पताल में रोगी को रेफर किया जाता है तथा कार्योपरांत अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। अनुपालन किया जाता है।–**मंरेप्र समस्तीपुर** आईसीयू तथा वार्डो में मरीजों को रेफर की जाती है ,ये अधिकार कार्यरत चिकित्सक को पहले से ही है।मुचिधी सिर्फ कार्योतर मंजूरी देते है।–**मंरेप्र धनबाद** आईसीयू में भर्ती मरीजों को रेफर की जाती है,ये अधिकार कार्यरत चिकित्सक को पहले से ही है। मुचिधी द्वारा सिर्फ कार्योतर स्वीकृती दिया जाता है।– **मंरेप्र सोनपुर** इस पर अमल किया जाता है। **–मंरेप्र मुगलसराय** इस पर अमल किया जाता है। **–मंरेप्र दानापुर**
3.3	केंद्रीय सुपरस्पेशियलिटि हॉस्पीटल,पटना के आईसीयू में मरीजों के दवाईयों की खरीद हेतु कैस या एटीएम कार्ड रखा जाना चाहिए ताकि उसका उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जा सके अथवा ऐसे सप्लायर से दवा खरीद हेतुं अनुबंध किया जाय कि वे आधे घंटे में	**प्रमुचिनि**	कैश इम्प्रेस्ट के लिए मिसील लेखा विभाग मुख्यालय हाजीपुर को भेजा जा चुका है तथा आईसीयू मरीजो के लिए यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि दवा आधे घण्टे के अन्दर आपूर्ति किया जाए।

	दवाईयों की आपूर्ति कर सके।		
3.4	दवाईयों के खरीद हेतु पूरे बजट का उपयोग किया जाय एवं पैसा सरेण्डर करने की समीक्षा की जाये।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	सुनिश्चित किया जाता है। आवश्यकता अनुसारबजट का प्रयोग किया जाता है।**—मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल, धनबादमेंदवा क्रय हेतु प्रक्रिया जारी हो चुकी है। **—मंरेप्र धनबाद** मंडल रेल अस्पताल, सोनपुर मेंदवा क्रय हेतु प्रक्रिया की गई है। — **मंरेप्र सोनपुर** सरेण्डर की समीक्षा की जाती है।**—मंरेप्र मुगलसराय** सरेण्डर की समीक्षा की जा रही है। **—मंरेप्र दानापुर**
3.5	दानापुर मंडल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन बहुत पुराना है। अतः नये डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि** **मंरेप्र/दानापुर**	इस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस पर कार्यवाई की जा रही है।
3.6	सभी अस्पतालों में ब्रांडेड कंपनी की दवाई उपलब्ध कराई जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	रेल परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार मंडल के सभी अस्पतालों व के. चि./पटना के द्वारा ब्रांडेड दवाईयों का ही आपूर्ति की जाती है। रेलवेPharmacopoeia के मध्यनजर दवाई उपलब्ध कराई जाती है।**—मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल, धनबादमें सभी अच्छे ब्रांड की दवाई ली जाती है,जो की रेलवे बोर्ड में रजिस्टर्ड है।—**मंरेप्र धनबाद** सभी अच्छे ब्रांड की दवाई ली जाती है।— **मंरेप्र सोनपुर** ब्रांडेड कंपनी की दवा खरीद की जाती है।**—मंरेप्र मुगलसराय** ब्रांडेड कंपनी की दवा खरीद की जाती है।**—मंरेप्र दानापुर**
3.7	रेलवे हॉस्पीटल में चिकित्सीय उपयोग हेतु मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए एवं वर्षों से खरीदी गई कई मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है इसे देखा जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	चिकित्सा उपकरण का समुचित उपयोग रेल चिकित्सालय के द्वारा किया जा रहा है तथा जिन मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है उसे चिन्हीत करने का काम भी किया जा रहा है। अनुपालन किया जा रहा है। **—मंरेप्र**

			समस्तीपुर मंडल रेल अस्पताल, धनबादमें नियमित ढ़ग से की जारही है। **–मंरेप्र धनबाद** नियमित ढ़ग से की जा रही है। – **मंरेप्र सोनपुर** इसे देखा जाता है।**–मंरेप्र मुगलसराय** इसे देखा जाता है।**–मंरेप्र दानापुर**
3.8	एचआईएमएस में सभी दवाईयों का रिकार्ड प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	सुनिश्चित किया जाता है। अनुपालन किया जा रहा है। **–मंरेप्र समस्तीपुर** एचआईएमएस लागू होते ही सभी दवाईयों का नाम उसमें नाम प्रदर्शित की जाएगी।**–मंरेप्र धनबाद** एचआईएमएस लागू होते ही सभी दवाईयों का नाम उसमें नाम प्रदर्शित की जाएगी। – **मंरेप्र सोनपुर** एचआईएमएस प्रकियाधीन है।**–मंरेप्र मुगलसराय** एचआईएमएस प्रकियाधीन है।**–मंरेप्र दानापुर**
3.9	सभी मंडल के सूदूर स्थान पर कार्यरत रेलकर्मियों के चिकित्सा जांच हेतु मेडिकल वान की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	रेल परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार सभी कर्मचारीयों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच किये जाने की सुनिश्चितता का अनुपालन करते हुए सभी मंडल चिकित्सालय के द्वारा सूदूर क्षेत्र में जाकर रेल कर्मचारीयों का स्वास्थ्य जॉच लगातार किया जा रहा है। अनुपालन किया जा रहा है। **–मंरेप्र समस्तीपुर** चिकित्सा केन्द्र के लिए मंडल के सूदूर स्थान पर धनबाद मंडल में निरीक्षण कार उपलब्ध है। **–मंरेप्र धनबाद** उपलब्ध कराई जाती है।– **मंरेप्र सोनपुर** सुविधा उपलब्ध कराने की प्रकिया की जा रही है। **–मंरेप्र मुगलसराय** सुविधा उपलब्ध कराने की प्रकिया की जा रही है। **–मंरेप्र दानापुर**
4.0	**श्री विद्या भूषण, अपरमहाप्रबंधक**		
4.1	भारतीय रेलवे के सभी अस्पतालों में	**प्रमुकाधि**	केन्द्रीय अस्पताल/पटना में कार्यरत

	एवं पूर्व मध्य रेल के भी सभी अस्पतालों के सहायक नर्सिंग अधिकारी को वर्दी भत्ता दिया जाता है जबकि केंद्रीय हॉस्पीटल पटना में कार्यरत सहायक नर्सिंग अधिकारी को वर्दी भत्ता नहीं दिया जा रहा है इसे अविलंब दूर किया जाय।		सभी सहायक नर्सिंग अधिकारियों को वर्दी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
4.2	केंद्रीय हॉस्पीटल में अटेंडेंड्स की कमी को दूर किया जाना चाहिए।	**प्रमुचिनि**	रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरा जाएगा।
4.3	शैक्षणिक योग्यता के अनुसार फिजियो थैरापिस्ट के कर्मचारियों का ग्रेड पे 4200रु.,4600रु एवं 4800रु के श्रेणी में वेतन निर्धारित किया जाय।	**प्रमुकाधि** **प्रमुचिनि**	यह नीतिगत मामला है। यह नीतिगत मामला है।
4.4	रेलवे कर्मचारी को रेलवे अस्पताल से भरोसा कम हो गया है ऐसी व्यवस्था किया जाय कि कर्मचारियों का रेलवे अस्पताल पर भरोसा कायम रहे।	**प्रमुचिनि** **सभी मंरेप्र**	उपलब्ध आधारिक संरचना के तहत रेलवे चिकित्सालय के द्वारा कर्मचारीयों को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जाती है। अनुपालन किया जा रहा है। **–मंरेप्र समस्तीपुर** मंडल रेल अस्पताल, धनबादमें रेल कर्मचारियों को उननत सेवा देने के लिए अतिआधुनिक तथा सुपर स्पेशलाईजड सेवा दिया जा रहा है,इसके लिए सुपर स्पेशलाईजड अस्पतालों से अनुबंधित है। **–मंरेप्र धनबाद** मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में रेल कर्मचारियों एवं आश्रितों को उननत सेवा प्रदान किया जाता है।– **मंरेप्र सोनपुर** इस पर कार्य कियाजा रहा है। **–मंरेप्र मुगलसराय** इस पर कार्य कियाजा रहा है। **–मंरेप्र दानापुर**
4.5	अस्पताल के उपकरणों की खरीद के समय रेलवे बोर्ड के पहल पर उपकरण का कोडल लाईफ 10 वर्षों का लिया जाय।	**प्रमुसाप्र**	केवल लाईफ का खरीद से कोई सीधा संबंध नही है। किसी भी उपकरण का कोडल लाईफ एक तकनीकी आकलन है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। सभी उपकरणों की कोडल लाईफ 10 वर्ष करना बिना समुचित तकनीकी विश्लेषण के

		प्रमुचिनि	संभव नही है।संबंधित विभागाध्यक्षइस मामले पर तकनीकी विश्लेषण के लिए समिति का गठन कर सकते है। एवं नितिगत निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड को भेज सकते है। उपकरण का कोडल लाईफ रेलवे परिषद के द्वारा निर्धारित की जाती है।
5.0	**श्री आलोक कंसल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/उ/निर्माण**		
5.1	स्मार्ट कार्ड के लिए रिटायरमेंट के समय यह ऑपशन होना चाहिए कि वो इसका उपयोग करना चाहेंगे या नहीं।	**प्रमुकाधि**	प्रारंभ में Trial Basis पर मुख्यालय/हाजीपुर में कार्यरत कर्मियों को प्रदान किये जाने वाले स्मार्ट कार्ड का प्रारूप संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है।

*****